भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापांक–4900, दिनांक–23.05.2018 में सम्मिलित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–29.05.2018 में मद संख्या–14 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

14.	भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर 100 (एक सौ) सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन की स्वीकृति।	14. स्वीकृत।

29.5.18

(उपेन्द्र नाथ पाण्डेय)
सरकार के विशेष सचिव
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

30/5/18

हु० अग्रिम।

31.5.18

30/5/2018.

प्रक. स्थापना-1.

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

5418 (भ)
4/6/18

संकल्प

विषयः- भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत संविदा के आधार पर 100 (एक सौ) सहायक अभियंता (असैनिक) के नियोजन के संबंध में।

भवन निर्माण विभाग में सहायक अभियंता (असैनिक) के 297 स्वीकृत पदों में से सीधी नियुक्ति के कुल 184 पद है जिसमें से 122 पद रिक्त है। उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विभागीय पत्रांक-3643(भ) दिनांक-21.04.2016 एवं पत्रांक-3154(भ) दिनांक-02.04.2018 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गयी है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा लंबे समय अंतराल के बाद अब अन्य कार्य विभागों सहित नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया है। चयन प्रक्रिया पूर्ण करने में समय लगने की संभावना है।

2. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना में सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर प्रतिनियुक्ति भवन निर्माण विभाग द्वारा की जाती है जहाँ भवन निर्माण विभाग से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त बाह्य सेवा में (अन्य निगमों/विभागों में) भी सहायक अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

3. भवन निर्माण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के ससमय कार्यान्वयन के निमित्त सहायक अभियंता (असैनिक) की नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया में अपरिहार्य विलंब के दृष्टिगत कार्यहित में तथा विशेष परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक 18.07.2007 में निहित शर्तो एवं प्रक्रियाओं के अधीन भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध विज्ञापन के आधार पर 100 (एक सौ) सहायक अभियंता (असैनिक) को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए अथवा बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसोपरांत नियमित नियुक्ति होने तक (जो पहले हो) के लिए GATE (Graduate Aptitude Test in Engineering) Score के आधार पर नियोजन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस नियोजन में आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा। इस नियोजन हेतु अन्य अर्हताएँ वही होगी जो बिहार अभियंत्रण सवा वर्ग-।। भर्त्ती नियमावली में विहित है। नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति को सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-2401 दिनांक 18.07.2007 के कंडिका-2(4) के आलोक में गठित समिति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक ही अनुमान्य होगा।

कृ0पृ0उ0.....

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से;

4/6/2018

(चन्द्रशेखर प्रसाद सिंह)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-भवन/स्था0-02-विविध-02/2018 5418 (अ) **पटना/दिनांक:-** 4/6/18

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी0डी0 के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

4/6/2018

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-भवन/स्था0-02-विविध-02/2018 5418 (अ) **पटना/दिनांक:-** 4/6/18

प्रतिलिपि :- विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/2018

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-भवन/स्था0-02-विविध-02/2018 5418 (अ) **पटना/दिनांक:-** 4/6/18

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/ माननीय मंत्री, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग एवं आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4/6/2018

सरकार के उप सचिव।